भारतीय संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का अवधारणात्मक निरुपणः एक समीक्षा

डॉ कृष्ण कुमार*

सारांश

''प्रस्तुत शोध पत्र इस प्रश्न का समीक्षात्मक उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास है कि क्या भारत की संविधान सभा महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा तथा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की राजव्यवस्था महत्वपूर्ण अंश पंचायती राज व्यवस्था के अनुरुप किसी अंश में नवीन भारत के लिए पंचायती राज व्यवस्था का स्वरुप निरुपित कर सकी ? इस महति प्रश्न के उत्तर स्वरुप इस विशिष्ट विषय पर प्रारुप संविधान पर 04 नवंबर 1948 से 09 नवंबर 1948 तक संविधान निर्माण निर्मात्री सदस्यों के बीच जो वाद–विवाद हुआ उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अंत में यह निष्कर्ष प्रस्थापित किया गया है कि महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा के अनुरुप ग्राम आधारित पेंचायती राज व्यवस्था के निरुपण में भारत की संविधान सभा सफल न हो सकी।''

भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान रही है। वैदिक काल में ग्राम ही राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के केंद्र बिंदु थे। मौर्य साम्राज्य एवं दक्षिण भारत में चोल शासकों से लेकर गुप्तकाल तक में ग्राम पंचायतों का अपना महत्व रहा।[1] प्राचीन भारत मे बाद मध्य कालीन सल्तनत एवं मुगलशासन इकाइयों का पुरातन स्वरुप अक्षुण्ण बना रहा।[2] हालांकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अपनी शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने एवं ब्रिटिश आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु ग्रामीण स्वशासन के स्थान पर अधिकारीतंत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया।[3] स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक महात्मा गाँधी स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं अहिंसा पर आधारित ग्राम स्वराज और स्वशासन की व्यवस्था चाहते थे। वे ऐसी व्यवस्था चाहते है जिससे गाँवों का वास्तविक स्वरुप प्रभावित न हो। उनके ग्राम स्वराज के आधारभूत सिद्धांतो में व्यक्ति की श्रेष्ठता की स्थापना, मानव शक्ति की पूर्ण एवं श्रेष्ठ उपयोगिता, समानता, न्यासिता, स्वदेशी, आत्मपूर्णता, सहयोग और सत्याग्रह शामिल थे। महात्मा गाँधी

पूर्व शोधार्थी स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

के ग्राम स्वराज का उद्देश्य भारत के प्रत्येक गाँव का आत्मपूर्ण एवं आत्मनिर्भर स्वशासी निकाय के रुप में विकसित करना था ताकि मनुष्य के सरल जीवन की क्रांतिकारी पद्धति विकसित हो सके।[4]

उपर्युक्त पृष्टभूमि में इस शोधपत्र का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था के स्वरुपीकरण की समीक्षा करना है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस संविधान सभा ने देश के लिए संविधान का निर्माण किया, उस संविधान सभा में अधिकांश सदस्य गाँधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे, इसके बावजूद महात्मा गाँधी के अनुरुप पंचायती राज व्यवस्था को प्रमुख स्थिति प्रदान नहीं की जा सकी और उनकी इस अवधारणा को उन नीति निदेशक सिद्धांतो में शरण लेना पडा। जिन्हें लागू करना राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं वरन् उनकी इच्छा पर निर्भर था एवं जिनकी प्रस्थिति बाद योग्यता विहीन बनकर रह गयी। उपर्युक्त समस्या के संदर्भ में एक संकल्पनात्मक प्रश्न का उत्तर ढूँढना इस प्रश्न का उद्देश्य है कि महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा के अनुरुप ग्राम आधारित पंचायती राज व्यवस्था के निरुपण में भारत की संविधान सभा सफल न हो सकी थी'।

संविधान सभा के गठन के बाद संविधान निर्माण हेतु पं० जवाहरलाल नेहरु के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ई० को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया परंतु इसमें ग्राम पंचायतों की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई थी।[5] भारत के संविधान सभा कार्यालय की मंत्रणा–शाखा ने अक्टूबर, 1947 ई० में तैयार किया। इस प्रारुप की तैयारी से पहले बहुत सारी आधार–सामग्री एकत्र की गई तथा संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्वदृष्टांत के नाम से तीन संकलनों के रुप में उपलब्ध की गई। संविधान सभा ने इस सभा में किए गए निर्णयों पर अमल करते हुए विधिक सलाहकार श्री बी. एन. राव द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान के मूल पाठ के प्रारुप के सूक्ष्म परीक्षण एवं आवश्यक संशोधन सुझाने हेतु 29 अगस्त 1947 को डॉ० भीमराव अंबेदकर के सभापतित्व में प्रारुप समिति नियुक्त की। प्रारुप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया।[6] संविधान के प्रारुप में संशोधन के लिए बहुत, बड़ी संख्या में टिप्पणियाँ, आलोचनाएँ और सुझाव प्राप्त हुए। प्रारुप समिति ने इसे 26 अक्टूबर 1948 ई० को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया।[7] यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव से लेकर संविधान का प्रारुप तैयार होने तक की प्रक्रिया में कहीं भी महात्मा गाँधी की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को स्थान प्रदान नहीं किया गया था। ग्राम आधारित स्वशासन की जो व्यवस्था प्राचीन काल से हमारे देश में मौजूद रही थी। उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के लिए अपनायी जानेवाली शासन व्यवस्था में कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के

महानायक महात्मा गाँधी ने जिस ग्राम आधारित पंचायती राज व्यवस्था को देश के शासन का आधार बनाए जाने की आजीवन वकालत की उसकी झलक भी इस प्रारुप संविधान में कहीं नहीं थी।

04 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारुप को विचार के लिए पेश करते समय डॉ० अंबेदकर ने प्रारुप की कुछ आलोचनाओं विशेषकर ग्राम समुदायों को प्रारुप में स्थान न दिए जाने संबंधी आलोचना का उत्तर देते हुए कहा कि प्रारुप संविधान के विरुद्ध प्रमुख आलोचना यह की गई है कि इस संविधान का कोई भाग प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कुछ सदस्यों के द्वारा यह कहा गया कि नए संविधान का निर्माण ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत के आधार पर किया जाना चाहिए था। कुछ लोगों के इस संबंध में अतिवादी विचार भी हैं जिनके अनुसार वे कोई भी केंद्रीय या प्रांतीय सरकार नहीं चाहते थे बल्कि वे भारत में केवल ग्राम पंचायतो की स्थापना ही चाहते थे। उन्होनें उक्त सुझावों की निंदा करते हुए यह कहा कि ये ग्राम गणराज्य ही भारत के विनाश का कारण रहे हैं। मेरे विचार में गाँव स्थानीयता का परनाला, अज्ञानता, संकीर्ण मानसिकता एवं सांप्रदायिकता की आश्रयस्थली हैं। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि प्रारुप संविधान में गाँवों को कोई स्थान नहीं दिया गया है और व्यक्ति को इकाई के रुप में स्वीकार किया गया है।[8] इस प्रकार डॉ० अंबेडकर जो संविधान निर्माण के प्रमुख वास्तुकार थे उन्होनें महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को कोई स्थान न दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही प्रारुप संविधान में ग्राम समुदायों को स्थान दिए जाने संबंधी प्राप्त सुझावों का तीव्र विरोध किया।

डॉ० अंबडेकर द्वारा प्रारुप संविधान को संविधान सभा के समक्ष पेश करने के पश्चात् प्रारुप संविधान के द्वितीय पठन पर एक सामान्य वाद–विवाद आयोजित हुआ जो 04 नवंबर 1948 से 09 नवंबर तक चला जिसमें अधिकांश सदस्यों ने डॉ० अंबेदकर के ग्राम संबंधी विचारों की तीव्र आलोचना करते हुए ग्राम पंचायती को संविधान में उचित स्थान दिए जाने की सशक्त माँग की।[9] इस वाद–विवाद में भाग लेते हुए माननीय सदस्य श्री दामोदर स्वरुप सेठ ने इस तथ्य को उजागर किया कि भारत में सात लाख गाँव हैं और महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता संघर्ष को गाँवों तक पहुँचाया। महात्मा गाँधी एवं गाँवों के प्रयासों से ही भारत को आजादी मिली परंतु क्या कारण रहा कि इस विशाल संविधान के प्रारुप में गाँवो की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होनें सुझाव स्वरुप कहा कि एक स्वतंत्र देश के संविधान को स्थानीय स्वशासन के आधार पर ही निर्मित किया जाना चाहिए।[10] सिब्बनलाल सक्सेना ने भी डॉ० अंबेडकर के उस वक्तप्य का प्रतिकार करते हुए कहा कि उन्होनें उस व्यवस्था को तिरस्कृत किया है जिसमें गाँवों को सर्वश्रेष्ठ स्थान या

दर्जा प्राप्त था। उन्होनें यह सुझाव प्रस्तुत किया कि हमें उस भाग को समुचित रुप से संशोधित करते हुए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को इकाई के रुप में अवश्य श्शामिल करना चाहिए।[11] माननीय सदस्य श्री एच.बी.कामथ ने डॉ० अंबेडकर की मनोदशा को एक आदर्श शहरी कुलीन व्यक्ति से जोड़ते हुए कहा कि अगर वे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं नहीं जानता कि गाँवों के उत्थान के लिए वे कौन सा उपचार करना चाहते हैं ? उन्होनें तथ्य पेश करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता हक डॉ० अंबेडकर ने डॉ० के० पी० जायसवाल की पुस्तक 'इंडियन पॉलिटी' एवं श्री अरविंद की पुस्तक 'दी स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटी' पढ़ी है या नहीं। उक्त पुस्तकों से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में किस प्रकार हमारी राजव्यवस्था ग्राम समुदायों पर दृढ़ रुप से आधारित थी या निर्मित थी और ये ग्राम समुदाय स्वयत्त एवं आत्मनिर्भर थे और यही कारण है कि हमारी सभ्यता आज तक जीवित है। उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि जब तक पूरे विश्व में महात्मा गाँधी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण नहीं किया जाता तबतक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती और पृथ्वी पर शांति नहीं आ सकती। इसलिए कम से कम हम तो अपने राजनीतिक संस्थाओं में इस सद्इच्छा का प्रयोग करें।[12]

अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री अरुण चंद गुहा ने कहा कि मैं इस बात से भयभीत हूँ कि प्रारुप समिति अपने उद्देश्यों से भटक गई है। पूरे प्रारुप संविधान में हम कहीं भी कांग्रेस और न ही महात्मा गाँधी के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण की ही झलक पाते हैं। महात्मा गाँधी एवं कांग्रेस का दृष्टिकोण रहा है कि भारत का बननेवाला संविधान एक पिरामिड की संरचना वाला होगा और इसका आधार ग्राम पंचायते होंगी। उन्होनें डॉ० अंबेडकर के उस कथन से सर्वथा असहमति जताई जिसमें उन्होनें कहा था कि गाँव भारत के विनाश का कारण रहे हैं। उन्होनें कहा कि अगर ऐसी घटना सचमुच में है तो यह हमलोगों के कारण है जो शहरों में रहते आ रहे है जो विदेशी अफसरशाही एवं विदेशी शासक के संरक्षण में फलते–फूलते रहे हैं। हमारे गाँवों का अक्सर विदेशी सरकारों द्वारा गला घोंटा गया है और शहर के लोगों ने इस निंदनीय कार्य में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होनें आग्रहपूर्वक कहा कि स्वतंत्र भारत का पहला कार्य गाँवों को पुनर्जीवित करना होना चाहिए। अतः इसमें कुछ अनुच्छेदों का समावेश किया जाए ताकि ग्राम पंचायतें देश के भविष्य के प्रशासन में प्रभावकारी भूमिका निभा सके।[13] वाद–विवाद को आगे बढ़ाते हुए श्री टी. प्रकाशम् ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह प्रश्न उठाया कि इस प्रारुप संविधान से किसकी उन्नति होगी ? उन्होनें डॉ० अंबेडकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उनलोगों की श्रेणी में खड़े नहीं हो

सकते जिन्होनें तीस वर्षों तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है और उन्होनें एक ही झटके में ग्राम पंचायत व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होनें आशा व्यक्त की कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों का उचित सीमाओं के तहत् ग्राम स्वायत्तता के संबंध में अवश्य लागू किया जाना चाहिए था।[14]

श्री आर०के० सिद्धवा ने प्रारुप संविधान के बारे में कहा कि यह वह संविधान है जो हमारे देश में लोकतंत्र हेतु तैयार की गई है और डॉ० अंबेडकर ने स्थानीय निकायों एवं ग्रामों की अनदेखी कर लोकतंत्र की वृहद् भावना को ही नकार दिया है। स्थानीय निकाय देश के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के मूलाधार है और यदि इस संविधान में स्थानीय निकायों को कोई जगह प्राप्त नहीं है तो हमारे देश की बहुत ही दयनीय स्थिति होनेवाली है। जबतक इस संविधान में प्रांतीय सरकारों को इन स्थानीय निकायों का उपयोगी बनाने एवं ग्रामीणों के उत्थान के निमित कोई निर्देश नहीं दिया जाता तब तक यह दस्तावेज लोकतंत्र की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। उन्होनें आंशका व्यक्त की कि यदि हमने उस ग्रामीण जनता की अनदेखी की जो कि जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग है तो हम अपने देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं?[15]

प्रारुप संविधान के स्वरुप पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए डॉ० मनमोहन दास ने कहा कि इस प्रारुप संविधान में विश्व के अन्य देशों के संविधानों से बहुत सारी चीजें उधार ली गई है। परंतु इसने स्वदेशी धरती से एवं अपनी सांस्कृतिक विरासत से कुछ ग्रहण नहीं किया है। उन्होनें प्रारुप संविधान में ग्राम पंचायत व्यवस्था को शामिल करने हेतु अन्य सदस्यों द्वारा प्रारुप समिति के अध्यक्ष के कार्य को अन्यायपूर्ण, निर्दयतापूर्ण एवं अमर्यादित ठहराए जाने का उचित बताते हुए इस तथ्य का समर्थन किया कि यह संविधान एक संविधान निर्मात्री संस्था की बजाए मात्र एक व्यक्ति की कृति है। साथ ही उन्होने आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रारुप समिति के अन्य सभी सदस्य हमारे संविधान में शामिल करना कैसे भूल गए ? उन सभी लोगों के लिए ग्राम पंचायत व्यवस्था एक काला धब्बा रहा है।[16] प्रारुप संविधान में ग्राम पंचायत व्यवस्था को शामिल किए जाने के निमित श्री गोकुल भाई दौलतराम भट्ट ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराया कि यदि इस संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान नही ंतो यह भारत का संविधान नहीं हो सकता। उन्होनें दुःख व्यक्त करते हुए कहा। कि संस्कृत एवं राजनीति के प्रकांड पंडित डॉ० अंबेडकर ने ग्राम पंचायत व्यवस्था का इस रुप में प्रतिकार किया है। अगर गाँवों का त्याग किया जाता है तो यह माँग भी प्रबलता से की जा सकती है कि इस संविधान का ही त्याग कर दिया जाए।[17] प्रो० एन०जी० रंगा ने भी डॉ० अंबेडकर के ग्राम समुदाय

विषयक वक्तव्य की निंदा करते हुए यह कहा कि हमारे देश की सारी लोकतांत्रिक परंपरा् उनके कथन के साथ समाप्त हो गई है। अगर उन्हें दक्षिण भारत के ग्राम पंचायतों की लाखों वर्षों की उपलब्धियों के बारें में जानकारी होती तो वे निश्चित रुप से ऐसी बातें नहीं करते। साथ ही अगर उन्होनें उतनी ही बारीकी से भारतीय इतिहास का अध्ययन किया होता जितना वे अन्य देशों के इतिहास के अध्ययन के प्रति समर्पित हैं तो उन्होनें निश्चित रुप ऐसा कहने का साहस नहीं किया होता। पंचायतों की मजबूत नींव के बिना हमारी जनता के लिए यह कैसे संभव होगा कि वे इस देश के लोकतंत्र में अपनी भूमिका सही रुप से निभा सकेगें। उन्होनें सुझाव देते हुए कहा कि आज पूरा विश्व विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। दूसरी तरफ यदि हम केंद्रीकरण चाहते हैं तो यह केवल सेवियतीकरण एवं सर्वाधिकारवाद को ही बढ़ावा देगा, लोकतंत्र को कदापि नहीं।[18] वरिष्ठ सदस्य श्री अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि यह संविधान ग्राम समुदायों को पर्याप्त महत्व नहीं देता जो कि भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की आवश्यक विशेषताएँ हैं।[19]

माननीय सदस्य श्री महावीर त्यागी का विचार था कि हमें उस व्यक्ति के विचारों को अवश्य प्रधानता देनी चाहिए जिन्होनें हमें आजादी दी। हमें इस प्रारुप संविधान का परीक्षण गाँधीजी के विचारों एवं उनकी दृष्टि के संदर्भ में करनी चाहिए। हम उन सब चीजों को पुनः संग्रह कर सकते हैं जो गाँधीजी ने स्वराज के बारे में सोची थी। उन्होनें इस बात पर दुःख व्यक्त किया कि संविधान में गाँधीवाद की कहीं भी झलक नहीं हैं।[20]

इस प्रकार, संविधान सभा के अनेक सदस्यों के द्वारा ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों को संविधान में उचित स्थान प्रदान करने की सशक्त रुप से माँग की गई और परिणामस्वरुप 22 नवंबर 1948 ई० को माननीय सदस्य श्री के संथानम के द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव (प्रस्ताव सं 927) लाया गया। जो निम्न था–

''राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इतनी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करेगा जिनसे वे स्वशासन की इकाइयों के रुप में कार्य कर सके।''

इस संशोधन प्रस्ताव को शीघ्र ही प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ० अंबेडकर के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भी संविधान सभा में इस विषय को लेकर विचार विमर्श किया गया कि संशोधन प्रस्ताव विषयक वाद–विवाद को जारी रखा जाए। साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि डॉ० अंबेडकर वाद–विवाद की समाप्ति पर अपने विचार रख सकते हैं या प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। परंतु वाद–विवाद की समाप्ति पर डॉ० अंबेदकर ने कुछ न कहते हुए संशोधन प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसी के साथ

संशोधन प्रस्ताव पर मतदान कराया गया और सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया। इस पारित प्रस्ताव को संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतो के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में स्थान प्रदान किया गया जो वाद योग्यता विहीन (नन जस्टिस्यिबल) है। अर्थात इसकी जो प्रभाविता वो कुंद कर दिया गया।

इस प्रकार संविधान सभा के गठन के बाद चाहे पं० जवाहरलाल नेहरु द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव हो या विधिक सलाहकार श्री बी. एन. राव द्वारा तैयार संविधान के मूलपाठ का प्रारुप या प्रारुप समिति, इन सभी ने महात्मा गाँधी की ग्राम स्वशासन की अवधारणा को कहीं कोई स्थान प्रदान नहीं किया। भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गाँधी जिन्होनें स्वतंत्रता संग्राम को दिशा प्रदान की, इसे जन आंदोलन बनाते हुए गाँवों तक पहुँचाया, जिन्होनें आजीवन अपनी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत् ग्राम आधारित पंचायती राज व्यवस्था को श्शासन की आधार मिला बनाए जाने की हिमायत की और जो व्यवस्था प्राचीन काल से ही हमारी राजव्यवस्था में रची–बसी थी, उसकी कहीं कोई झलक संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान दिखाई नहीं दी। प्रारुप संविधान पर पाँच दिवसीय वाद–विवाद के दौरान अनेक गाँधीवादी विचारधारा, से प्रेरित सभा के सदस्यों ने गाँधीवादी ग्राम स्वशासन की व्यवस्था को प्रारुप संविधान में उचित स्थान देने की सशक्त माँग की इसके बावजूद प्रारुप समिति के सभापति डॉ० अंबेदकर के हठधर्मितापूर्ण रवैये के कारण महात्मा गाँधी के ग्राम पंचायत संबंधी अवधारणा को संविधान में शामिल करने की औपचारिकता का निर्वहन मात्र, करते हुए इसे नीति निदेशक सिद्धांतो के तहत् अनुच्छेद 40 में स्थान प्रदान किया गया। इसी के साथ पंचायतो की स्थापना को पूर्णतः राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। इसे संविधान के उस भाग में स्थान प्रदान किया गया जिसकी स्थिति वादयोग्यताविहीन थी। उपर्युक्त विवेचन से यह तथ्य सामने आता है कि महात्मा गाँधाी के ग्राम स्वराज की अवधारणा के अनुरुप ग्राम आधारित पंचायती राज व्यवस्था के निरुपण में अनेक सदस्यों की सद्इच्छाओं के बादजूद भारत की संविधान सभा इसमें सफल न हो सकी।

यद्यपि अब संविधान के 73वीं संशोधन के बाद इसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावकारी स्थिति प्रदान की गयी है। फिर नवीन पंचायती राज व्यवस्था में गाँधीवादी ग्राम स्वराज की अवधारणा के मूलतत्त्वों एवं प्राचीन भारत की राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों के विशिष्ट तत्त्वों का समाहार नहीं किया जा सका है। यदि इस प्रकार का दावा किया जाय तो कुछ गलत न होगा।

संदर्भ

1. डॉ० ए. एस. अल्तेकर (2002) स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एन्सिएंट इंडिया, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन, डेल्ही पृ०–115
2. रोमिला थापर (1975), भारत का इतिहास, राजकमल पब्लिकेशन प्रा० लिमिटेड, दिल्ली, पृ०–186
3. बी. डी. महाजन (2009) मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1707 टू द प्रेजेंट डे, एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड, न्यू डेल्ही, पृ०–218
4. अर्नाल्ड टॉयनबी, (1969), एक्सपीरियंसेंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पृ० 333–34
5. सुभाष कश्यप, (1996), हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ०–29
6. वही, पृ०–30
7. वही
8. कंस्टीट्यून्ट एसंबली डिबेट (सी. ए. डी.), 04 नवंबर 1948, वोल्यूम–VII, पृ०–494–495
9. वही, पृ–35
10. सी. ए. डी., 5 नवंबर 1948, वोल्यूम, VII पृ०–212–213
11. वही, पृ०–216
12. वही, पृ०–219–222
13. वही, पृ०–435–437
14. वही, पृ०–521–522
15. वही, पृ०– 528–529
16. सी. ए. डी., 08 नवंबर 1948, वोल्यूम–VII, पृ०–532
17. वही, पृ०–538
18. सी. ए. डी., 09 नवंबर 1948 वोल्यूम–VII, पृ०–562–563
19. वही, पृ०–552–553
20. वही, पृ०–558–562